



प्रेस नोट

दिनांक 10.03.2026

03 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) जनपद हमीरपुर के द्वारा थाना सुमेरपुर, थाना जरिया व थाना जलालपुर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त-अरुण श्रीवास पुत्र बिन्दा श्रीवास निवासी ग्राम पलरा थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर को दिनांक 20.02.2026 से 06 माह।
2. अभियुक्त-रविन्द्र पुत्र रामपाल लोधी निवासी मु0 हटवारा कस्बा सरीला थाना जरिया, जनपद हमीरपुर को दिनांक 11.02.2026 से 06 माह।
3. अभियुक्त- सुमित पुत्र देवकी नन्दन निवासी भेड़ीडांडा थाना जलालपुर, जनपद हमीरपुर को दिनांक 11.02.2026 से 06 माह।